A052-20232024-001-714

वित्तीय स्वीकृति

संख्या-11/2023/756/52-3-2023-3/1/2021

प्रेषक,

मुमताज अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग 3 लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय अधिष्ठान हेतु प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया.

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2023-24, दिनांक 03.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-001- निदेशन तथा प्रशासन-06- रजिस्ट्रार/निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0 प्रयागराज के राजस्व पक्ष में प्रावधानित धनराशि **रू0 105.76 लाख (रू0 एक करोड पॉच लाख छिहत्तर हजार मात्र)** स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु 0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 के प्रस्तर- 2(5) में निहित व्यवस्था के अनुसार रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय अधिष्ठान मद हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट में प्रावधानित धनराशि **रू0 105.76 लाख (रु0 एक करोड़ पॉच लाख छिहत्तर हजार मात्र)** का मदवार विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र०	मद का नाम	वर्ष 2023-24 आय-व्ययक प्रावधान	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	01- वेतन	26.70	26.70
2	02- मजदूरी	0.20	0.20
3	03- महगाई भत्ता	12.02	12.02
4	04- यात्रा व्यय	2.00	2.00
5	06- अन्य भत्ते	2.00	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	07- मानदेय	8.04	8.04
7	08- कार्यालय व्यय	5.00	5.00
8	11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	1.00
9	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00
10	13- टेलीफोन पर व्यय	0.60	0.60
11	15- गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00	2.00
12	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	8.00	8.00
13	18- प्रकाशन	2.00	2.00
14	42- अन्य व्यय	7.00	7.00
15	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.20	0.20
16	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	0.50	0.50
17	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबधी स्टेशनरी का क्रय	7.00	7.00
18	49- चिकित्सा व्यय	1.00	1.00
19	51- वर्दी व्यय	0.50	0.50
20	55- मकान किराया भत्ता	15 .00	15 .00
	योग-	**105.76**	**105.76**

3- उक्त वित्तीय स्वीकृतियॉ वित्तीय वर्ष 2023-24 में रजिस्ट्रार/निरीक्षक, उ0प्र0 अरबी फारसी मदरसा के कार्यालय (अधिष्ठान) हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 105.76 लाख निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।
2. वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।
3. उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को दिनांक- 31.03.2024 तक उपलब्ध कराया जायेगा।
5. धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6 एतद् विषयक वित्त (आय व्ययक) अनु 0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित शर्तों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का होगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-001- निदेशन तथा प्रशासन-06- रजिसट्रार/निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0 प्रयागराज " के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनु 0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में निहित प्रावधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-714(1)/52-3-23, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा राज्य मंत्री जी, अल्पसंयक कल्याण विभाग,उ0प्र0।
4. कोपाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/ नियोजन अनुभाग-3
7. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।